[2018] 10 एस० सी० आर० 726
उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

अनिल कुमार @ बड़का और अन्य।

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1094) 29 अगस्त, 2018

[अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित, न्यायमूर्तिगण ]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 378 (3) - अपील दायर करने की अनुमति मांगने वाला आवेदन - वे मानक जिन्हें उच्च न्यायालय को आवेदन पर निर्णय लेने के लिए ध्यान में रखना चाहिए, चर्चा की गई - इस मामले में, ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत ने प्रतिवादी को बरी करने का आदेश दिया - राज्य ने बरी करने को चुनौती देने के लिए अपील दायर करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर किया - उच्च न्यायालय ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और आवेदन को खारिज कर दिया - राज्य की अपील - अवधारित किया गया उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में न तो तथ्यों को निर्धारित किया, न ही पक्षों की प्रस्तुति, न ही निष्कर्षों और न ही इस बात का कारण कि अपीलकर्ता को अपील दायर करने की अनुमति क्यों अस्वीकार कर दी गई थी - इस प्रकार, यह उच्च न्यायालय द्वारा मामले में विवेक का उपयोग न करने का एक स्पष्ट मामला था - आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से अपील करने की अनुमति देने के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए, सुजय मंगेश मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, कानून के अनुसार निर्णय हेतु उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया। दंड संहिता, 1860 - धारा 363, 366, 376 और 120 बी।

महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेश पोयारेकर

(2008) 9 एससीसी 475: [2008] 13 एससीआर 750 - पर भरोसा किया।

केस लॉ रेफरेंस

[2008] 13 एससीआर 750 का प्रस्तर-9

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:

2018 की आपराधिक अपील संख्या 1094।

2014 की सरकारी अपील संख्या 3317 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 02.09.2014 के निर्णय और आदेश से।

उपस्थित पक्षों के लिए, गर्वेश काबरा, विकाश चौधरी, सुश्री मोना के. राजवंशी, बी. पी. गुप्ता, राम नरेश, मुकेश कुमार सिंह, सौरभ चोपड़ा, शेखर कुमार, एडवोकेट।

726 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिल कुमार @ बड़का

न्यायालय का निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति 1 द्वारा सुनाया गया था। अनुमति मंजूर कर ली गई।

2. यह अपील उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 2014 की सरकारी अपील संख्या 3317 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने

अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (इसके बाद "कोड" के रूप में संदर्भित) की धारा 378 (3) के तहत अपील दायर करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को खारिज कर दिया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 3, कन्नौज द्वारा पारित दिनांक 31.05.2014 के फैसले की पुष्टि की, जिसमें 2012 के एसटी नंबर 204 में आरोपी-प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया था।

3. अपील में शामिल छोटे बिंदु को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता की शिकायत का मूल्यांकन करने के लिए कुछ तथ्यों को छोड़कर समस्त तथ्यों को विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है।

4. प्रतिवादियों (आरोपियों) पर, कन्नौज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 139/2012 भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) की धारा 363, 366, 376 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिये अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में, 2012 के सत्र परीक्षण केस नंबर 204 में, गुरसहाय गंज, उप-जिला सदर, जिला कन्नौज के कोर्ट सं० ३ में मुकदमा चलाया गया।

5. दिनांक 31.05.2014 के फैसले द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों की मूल्यांकन करने पर प्रतिवादियों (आरोपियों) को धारा 363, 366, 376, 120-बी आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप से बरी कर दिया।

6. उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रतिवादियों के बरी होने से व्यथित महसूस करते हुए, संहिता की धारा 378 (3) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया।

7. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और तदनुसार राज्य द्वारा किए गए आवेदन को खारिज कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध राज्य ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील दायर की है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

9. अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान वकील ने केवल एक निवेदन किया है। उनके अनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते समय, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 10 एस.सी.आर. को ध्यान में नहीं रखा।

अपील करने की अनुमति के लिए किये गये आवेदन को खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया गया था और इसलिए आक्षेपित आदेश, कानून की नजर में दोषपूर्ण है। उनका निवेदन था कि सत्र न्यायाधीश के फैसले में कई विसंगतियां और त्रुटियां थीं, जिसके खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी गई थी और इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला था जहां उच्च न्यायालय को अपीलीय अदालत द्वारा मामले में आगे की जांच के लिए अपील करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेश पोयारेकर, (2008) 9 एससीसी 475 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

10. हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह की गई प्रस्तुति से, सहमत होने के इच्छुक हैं।

11. संहिता की धारा 378 (3) के तहत अपील करने की अनुमति देने के आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा कैसे निर्णय लिया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय को किन मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए, यह प्रश्न अब और प्रासंगिक नहीं है। इस मामले की जांच इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेश पोयारेकर (उपरोक्त) मामले में की गई थी। न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर ने पैरा 19, 20, 21 और 24 में पीठ की ओर से बोलते हुए कहा:

"19 अब, संहिता की धारा 378 में बरी होने के मामले में राज्य द्वारा अपील दायर करने का प्रावधान है। उपधारा (3) घोषित करती है कि "उच्च न्यायालय की अनुमति के अलावा किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा"। इसलिए, राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के आदेश से व्यथित हो, वह संहिता की धारा 378 की उप-धारा (3) के अनुसार अपील करने की अनुमति के लिए

आवेदन दायर करे। यह भी सच है कि उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 378 की उप-धारा (3) के तहत दायर आवेदन को, अनुमति देकर, अनुमति देने के बाद ही उच्च न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर अपील दर्ज की जा सकती है और सुनवाई की जा सकती है।

20. हमारी राय में, हालांकि, इस सवाल पर फैसला करने में कि अपेक्षित अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, उच्च न्यायालय को अपना दिमाग लगाना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है या विचारणीय बिंदु उठाए गए हैं और यह कि बरी करने का आदेश रद्द किया जाए या नहीं।

21. इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के कानून के एक अमूर्त प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए प्रत्येक बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति, अपीलीय अदालत द्वारा दी जानी चाहिए और प्रत्येक अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए और गुण-दोष के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए लेकिन इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि उस स्तर पर, अदालत अभियोजन पक्ष के सबूतों के बारीक विवरण में प्रवेश नहीं करेगी और यह देखते हुए अनुमति देने से इनकार कर देगी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के फैसले को "विकृत" नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

24. हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि हमें यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने एक अनुल्लंघनीय नियम निर्धारित किया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के आदेश के खिलाफ अपीलीय अदालत द्वारा कोई अनुमति देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। हम केवल यह कहते हैं कि ऐसे मामलों में, अपीलीय अदालत को प्रासंगिक सामग्री, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही और रिकॉर्ड कारणों पर विचार करना चाहिए कि राज्य द्वारा मांगी गई अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के आदेश को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। जहां अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग किया जाता है और ऐसे दृष्टिकोण के समर्थन में कारण (संक्षेप में हो सकते हैं) दर्ज किए जाते हैं, तो न्यायालय के आदेश को अवैध या आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, साथ ही, यदि सुनवाई योग्य बिंदु उठाए गए हैं, यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री सबूतों की गहन जांच और पुन: मूल्यांकन, समीक्षा या पुनर्विचार का खुलासा करती है, तो अपीलीय अदालत को मांगी गई अनुमति देनी चाहिए और गुण-दोष के आधार पर अपील पर फैसला करना चाहिए। दूसरी ओर, इस मामले में, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया। उच्च न्यायालय की राय में, मामले में अनुमति देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वह अनुमति से इनकार करने के कारणों को दर्ज करने में भी विफल रहा।

12. अब इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, आक्षेपित आदेश को शब्दशः पुन: प्रस्तुत करना उचित है: "निर्णय और रिकॉर्ड के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि ट्रायल जज द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विकृत या अनुचित है। सिर्फ इसलिए कि साक्ष्य के बारे में एक और दृष्टिकोण लिया जा सकता है, बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं देता है जब तक कि ट्रायल जज द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संभव दृष्टिकोण नहीं है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 10 एससीआर के सबूतों पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि ट्रायल जज द्वारा लिया गया दृष्टिकोण यथोचित रूप से संभव दृष्टिकोण नहीं था। इस मामले को देखते हुए, अपील की अनुमति के आवेदन में कोई दम नहीं है, जिसे खारिज कर दिया जाता है और परिणामस्वरूप, सरकारी अपील भी खारिज कर दी जाती है।

13. हम यह देखने के लिए विवश हैं कि उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए आक्षेपित आदेश पारित करके घोर गलती की। हमारी सुविचारित राय में, यह विद्वान न्यायाधीशों द्वारा मामले में पूरी तरह से दिमाग का उपयोग नहीं करने का एक स्पष्ट मामला था क्योंकि लागू किए गए आदेश में न तो तथ्यों को निर्धारित किया गया था, न ही पार्टियों की प्रस्तुतियों और न ही निष्कर्षों को निर्धारित किया गया था और न ही इस बात के कारण कि अपीलकर्ता को अपील दायर करने की अनुमति क्यों अस्वीकार कर दी गई है। इसलिए, हम आवेदन पर निर्णय लेने में उच्च न्यायालय के लापरवाह दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं, जो हमारे विचार में, महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेश पोयारेकर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ है।

14. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार अपील सफल होती है

और तदनुसार स्वीकार की जाती है और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेश पोयारेकर (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से अपील करने की अनुमति देने के लिए अपीलकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस किया जाता है।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने मामले के गुण-दोष पर अपना दिमाग नहीं लगाया है और मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया है, यह देखते हुए कि यह एक अकारण आदेश था। उच्च न्यायालय तदनुसार इस आदेश में की गई हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना योग्यता के आधार पर आवेदन पर फैसला करेगा।
देविका गुजराल अपील स्वीकृत।

Digitally signed by AJAY KUMAR SHAHI
Date: 2023.10.28 16:32:34 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court